रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 22 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 31, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 3859/सत्रह–वि–1 –113-1975

लखनऊ 22 सितम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 15 सितम्बर, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे।

अधिनियम संख्या 16, 1908 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(3) राज्य सरकार अपने अधीन राज्य क्षेत्र के लिए एक या अधिक रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक और रजिस्ट्रीकरण उप-महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और ऐसे आफिसरों के कर्त्तव्य विहित कर सकेगी और उन्हें रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की सभी या किन्हीं शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन करने का प्राधिकार दे सकेगी।"

धारा 69 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 69 में, उप-धारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(घघ) अधिक संदत्त रजिस्ट्रीकरण फीस की वापसी का उपबन्ध करने के लिए ;

(घघघ) रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की वसूली का उपबन्ध करने के लिए।"

नई धारा 78-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 78 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"78-क—राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियम या आदेश द्वारा, अपने फीस में कमी या परिहार करने की शक्ति प्रशासनाधीन सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में किसी लिखत या लिखतों के वर्ग के सम्बन्ध में, या किन्हीं ऐसे लिखतों के वर्ग, जब वह राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया जाय के सम्बन्ध में प्रभार्य फीस को भविष्य लक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से कम कर सकेगी या उसका परिहार कर सकेगी।"

धारा 80-क तथा 80-ख का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 80 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47-क के अधीन कार्यवाहियों में कलेक्टर का कर्त्तव्य

"80-क—(1) यदि कलेक्टर का, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-क के अधीन कार्यवाही के दौरान यदि कोई हो, यह समाधान हो जाये कि इस अधिनियम के अधीन किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण के लिए संदत्त फीस कम है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही के दौरान ऐसी फीस में कमी की धनराशि को अवधारित करे, और ऐसी कार्यवाही में किये गये आदेश की प्रति रजिस्ट्रीकरण आफिसर को, उस व्यक्ति से जो उक्त धारा के अधीन स्टाम्प शुल्क में कमी की धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो, उक्त धनराशि वसूल करने के लिए भेजे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर का कोई आदेश भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-क के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश समझा जायगा और अन्तिम होगा।

(3) इस धारा के अधीन वसूल की जा सकने वाली किसी धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।"

रजिस्ट्रीकरण फीस में कमी की भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली और अधिक भुगतान की गई फीस का लौटाया जाना

"80-ख—(1) यदि निरीक्षण करने पर या अन्यथा यह पाया जाय कि इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में, जो रजिस्टर्ड है, संदेय फीस का भुगतान नहीं किया गया है, या अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया है, तो उक्त फीस (माँगने पर विहित अवधि के भीतर उसका भुगतान न किये जाने पर) रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण अपर महानिरीक्षक या रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक के प्रमाण-पत्र पर उस व्यक्ति से जिसने उक्त दस्तावेज धारा 32 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा। ऐसा प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं की जायगी :

परन्तु कोई ऐसा प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि सम्यक् जाँच न कर ली जाय और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को यह पता लगे कि प्रभारित और संदत्त फीस की धनराशि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधितः प्रभार्य फीस की धनराशि से अधिक है, तो आधिक्य को वह लिखित आवेदन करने पर या अन्यथा, लौटा सकेगा।"

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 335 सा० (विधा०)—2699—1975-1809+50 SS (मे०)

THE REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 48 OF 1975)

[†Authoritative English Text of the Registration (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1975.]

AN ACT

further to amend the Registration Act, 1908 (*Act XVI of* 1908), *in its application to Uttar Pradesh.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in this behalf.

Amendment of section 3 of Act XVI of 1908.

2. In section 3 of the Registration Act, 1908, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(3) The State Government may appoint one or more Additional Inspectors General of Registration and Deputy Inspectors General of Registration for the territories subject to such Government and may prescribe the duties of such officers and authorise them to exercise and perform all or any of the powers and duties of the Inspector General of Registration."

Amendment of section 69.

3. In section 69 of the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*d*), the following clauses shall be *inserted,* namely :—

"(*dd*) providing for refund of registration fees paid in excess ;

(*ddd*) providing for recovery of deficiency in registration fees ;"

Insertion of new section 78-A.

4. *After* section 78 of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :—

Power to reduce or, remit fees.

"78-A. The State Government may by rule or order published in the official *Gazette,* reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the fees chargeable in respect of any instrument or class of instruments, or in respect of any class of instruments when executed by or in favour of the State Government or any person or class of persons."

---

†(For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated August 9, 1975).

(Passed in Hindi by Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 6, 1975 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 8, 1975).

(Received the Assent of the President on September 15, 1975 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated September 22, 1975.)

Insertion of new sections 80-A and 80-B.

5. *After* section 80 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

"80-A. (1) It shall be the duty of the Collector, if he is satisfied, during the proceedings, if any, under section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899, that the fee for registration paid under this Act in respect of a document is in deficit, to determine in the course of such proceedings the deficient amount of fee and to send a copy of the order made in the proceedings to the registering officer for the recovery of the said amount from the person liable to pay the deficient amount of stamp duty under the said section.

Duty of Collector in proceedings under section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899.

(2) An order of the Collector under sub-section (1) shall be deemed to be an order made by the Collector under section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 and shall be final.

(3) Any amount recoverable under this section may be recovered as arrears of land revenue.

80-B. (1) If on inspection or otherwise, it is found that the fee payable under this Act in relation to any document which is registered has not been paid or has been insufficiently paid, such fee may (after failure to pay the same on demand within the prescribed period), on a certificate of Inspector General of Registration, Additional Inspector General of Registration or Deputy Inspector General of Registration, be recovered from the person who presented such document for registration under section 32 as arrears of land revenue. Such certificate shall be final and shall not be called in question in any court or before any authority :

Recovery of deficient registration fee as arrears of land revenue and provision for refund of excess.

Provided that no such certificate shall be granted unless due enquiry is made and such person has been given an opportunity of being heard.

(2) Where the Inspector General of Registration finds that the amount of fee charged and paid exceeds that which is legally chargeable under the provisions of this Act, he may, upon an application in writing or otherwise, refund the excess."

PSUP—A.P. 336 Sa. (Vidha.)—2700—1975—1827+50ss (Mech.).